लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारम्भ किया

कोटा, (निसं)। कोटा विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबन्ध विभाग तथा इण्डियन अकाउण्टिंग एसोसिएशन, कोटा ब्रांच के संयुक्त तत्वाधान में इमरजिंग पेराडाइम्स इन कॉमर्स, मैनेजमेण्ट एण्ड सोशल साइन्सेज फॉर सिनरजिस्टिक डवलपमेण्टरू रोडमेप टू मिशन फॉर विकसित भारत-2047 विषय पर अयोजित दो दिवसीय इण्टरनेशनल कान्फ्रेन्स का उद्धाटन गुरुवार को हुआ।

उद्घाटन सत्र में कान्फ्रेन्स डायरेक्टर डॉ. मीनू माहेश्वरी ने बताया कि इस इण्टरनेशनल कान्फ्रेन्स में 21 राज्यों, 7 देशों के 500 से अधिक प्रतिभागी 300 से अधिक शोधपत्रों का वाचन करेंगे जिसके अन्तर्गत पाँच तकनीकी सत्रों में वाणिज्य प्रबन्ध एवं सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जायेगा। इसमें भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में विभिन्न विषयों पर भी पत्र वाचन किये जायेंगे। सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न ज्वलन्त विषयों के साथ-साथ विकसित भारत-2047 के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक विषयों पर विशेष चर्चा की जायेंगी।

मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित भारत 2047 के मिशन पर आयोजित अंतराष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में विद्यार्थियों और शिक्षाविदों से वर्चुअल संवाद किया। ऐसे आयोजन केवल शैक्षणिक विमर्श का मंच नहीं होते, बल्कि साझा सोच और सामूहिक प्रयास का प्रतीक होते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करते है। वाणिज्य, प्रबनध, सामाजिक विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर समग्र चिंतन इस सम्मेलन को और भी सार्थक बनाता है। भारत के विभिन्न राज्यों और सात देशों से 300 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा शोध प्रस्तुत किया जाना ज्ञान ओर नवाचार की वैश्विक साझेदारी को दर्शाता है।

विश्वास है कि सेमिनार से निकलने वाले विचार और सुझाव विकसित भारत के निर्माण में निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होंगे। आयोजन से जुडे सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनांए। देश-विदेश से जुड़े विद्वानों, शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज हमारा देश विश्व की महाशक्ति बन रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर है। हमारे सैनिकों ने आपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकवाद के खात्मे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूरा करने में नौजवान, महिला, गरीब, किसान को साथ लेकर विश्वगुरू के महत्वपूर्ण स्थान पर आसीन होकर सम्पूर्ण विश्व को एक नई दिशा देनी है।

दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे 500 से अधिक प्रतिभागी 300 से अधिक शोधपत्रों के द्वारा जो अमृत निकलेगा उससे सम्पूर्ण विश्व को एक नई दिशा मिलेगी। सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं को डिजीटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमजन के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि आमजन भारतीय उत्पादों की महत्ता एवं स्वयं की कौशल क्षमता पर भरोसा कर सकें।

विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना के माध्यम से बड़ी परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जा रहा है। विकसित भारत हेतु सम्पन्न एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था, उधोग, ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढांचा आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इमिनेन्ट गेस्ट प्रो. मंजू , महिला एवं बाल विकास मंत्री, राजस्थान सरकार ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि विकसित भारत-2047 के साथ-साथ राजस्थान मिशन 2030 के लक्ष्य से राजस्थान के विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। वाणिज्य एवं प्रबन्ध में नये-नये विषयों को लेकर शोध हो रहे है। यह कान्फ्रेन्स नये कीर्तिमान स्थापित करेगी। इण्डियन अकाउण्टिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एवं सौराष्ट्र युनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय भायानी ने अपने उद्बोधन में ए.आई. की व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में बताया और कहा कि ए.आई. को कॉमर्स के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए।

इण्डियन अकाउण्टिंग एसोसिएशन के पास्ट प्रेसीडेण्ट एवं मोहनलाल सुखाडिया सुनिवर्सिटी के वाणिज्य संकाय के भूतपूर्व डीन प्रो. जी सोरल ने कहा कि वाणिज्य एवं प्रबन्ध व्यवहारिक विषय है जिन पर ए.आई. के आधुनिक विकास का बड़ा प्रभाव होगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता लन्दन अमेरिकन युनिवर्सिटी जाम्बिया के कुलपति प्रो. कोप मोहम्मद ने बताया कि विकसित भारत-2047 के उद्श्य को पूर्ण करने के लिए शोध को मजबूत करना आवश्यक है।

कार्य संस्कृति अपनाएं:- उद्घाटन सत्र के दूसरे मुख्य वक्ता हिन्दी केंद्रीय संस्थान आगरा के पूर्व निदेशक एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रो. नन्दकिशोर पाण्डे ने कहा कि हमें विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हमें 'कार्य संस्कृति' अपनानी होगी। मुख्य वक्ता प्रो. एन. के. पाण्डे ने वाल्मिकी रामायण से भगवान राम द्वारा भरत से पूछे गए प्रश्नों के उदाहरण देते हुए कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन भत्ते मिलना चाहिए। उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के कुलगुरू प्रो. कैलाश सोढाणी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत किया।

प्रो. सोढाणी ने प्रो. मंजू बाधमार मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित प्रो. भायानी, प्रो. सोरल, प्रो. कोप मोहम्मद, प्रो. एन. के पाण्डे एवं आई.ए.ए कोटा ब्रांच के चैयरमेन डॉ. अशोक कुमार गुप्ता के साथ सभी उपस्थित महानुभवों, शोधार्थियों एवं देश-विदेश से जुडे प्रतिभागियों को आयोजन की सफलता हेतु शुभकामनाएं दी। अन्त में इण्डियन अकाउण्टिंग एसोसिएशन कोटा, ब्रांच के चैयरमेन डॉ. अशोक कुमार गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

आदर्श विला का आवासीय दर्जा खारिज

कोटा, (निसं)। कोटा संभागीय आयुक्त कार्यालय ने कार्यवाही करते हुए आवासीय कॉलोनी आदर्श विला का आवासीय दर्जा खत्म कर दिया है। पूर्व में रेरा के द्वारा भी बिल्डर पर जुर्माना लगाया गया था। एडवोकेट घनश्याम नागर ने बताया कि संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा वाद अमित शर्मा बनाम मंजीत सिंह ग्राम बोरखेड़ा तह. लाड़पुरा कोटा में विकसित आवासीय कॉलोनी आर्दश विला के प्रमोटर रिजवान खान द्वारा तथ्य छुपाते हुए 90-क में दर्ज करवायी गयी कॉलोनी की आराजी खसरा संख्या 362/1 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नं. 363 रकबा 0.93 हैक्टर के संदर्भ में पूर्व में यूआईटी द्वारा 06 जनवरी 2023 के 90-क के आदेश को खारिज फरमाते हुए आवासीय कॉलोनी का दर्जा खारिज कर दिया। क्योंकि उक्त कॉलोनी के खातेदार मनजीत सिंह एवं डवलपर रिजवान द्वारा कॉलोनी को पूर्व में यूआईटी में दर्ज करते समय तथ्यों को छुपाते हुये 90-क में दर्ज करवाया गया था। जिसे संपूर्ण सुनवाई के बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा 01 मई 2025 को खारिज फरमा दिया। जिससे की उक्त कॉलोनी में अब कोई भी पट्टा इत्यादि कार्यवाही शून्य व निरस्तनीय मानी जावेगी।

पालिकाध्यक्ष मेड़तवाल की पहचान बनी 'स्वच्छता अभियान संग समस्या समाधान'

रामगंजमंडी, (निसं)। रामगंजमंडी नगर पालिका के नवनियुक्त अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल को कार्यभार ग्रहण किए अभी एक माह ही पूरा नहीं हुआ है लेकिन उनकी कार्यकुशलता व कार्यक्षमता से त्वरित कार्यवाही के साथ स्वच्छता अभियान संग समस्या समाधान से अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है।

मेड़तवाल गत 10 अप्रेल 2025 को पालिकाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। इस अवसर पर मेड़तवाल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने बधाई देते हुए नगर की स्वच्छता के लिए भी निर्देश दिए थे। जिनकी क्रियान्विति करते हुए पालिकाध्यक्ष ने नगर में स्वच्छ, सुंदर व स्वस्थ रामगंजमंडी अभियान चलाया हुआ है। जिसके तहत वह स्वच्छता संग समस्या का भी समाधान त्वरित गति से करने को तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में जब पालिकाध्यक्ष को स्थानीय उपजिला अस्पताल के कमरा नम्बर 10 में कूलर की आवश्यकता से अवगत करवाया तो उन्होंने पूर्ण विश्वास देते हुए 3 अप्रेल शनिवार को ही कूलर की व्यवस्था करवा दी। वहीं 6 अप्रेल मंगलवार को भी जब नारायण टॉकीज चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर के पास तीन चार दिन से लगे कचरे के ढेर के नहीं उठने वाली आमजन की समस्या बताई तो उन्होंने मात्र आधे घण्टे में ही कचरा उठवाकर समाधान करवा दिया। अपने अभियान के तहत 8 अप्रेल गुरुवार को भी पवित्र धार्मिक स्थल गोवर्धनपुरा माताजी मंदिर परिसर पर कई दिनों से बंद पड़ी लाइट को तुरंत ठीक करवाया ताकि दर्शनार्थियों को अंधेरे के कारण होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। यही नहीं कार्यों का समाधान करके व्यक्तिगत रूप से अवगत करवाया जाना भी उनकी एक खूबी प्रतीत होती है।

चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। नयापुरा पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। नयापुरा थाने के एएसआई काशीराम मीणा ने बताया कि मुखबीर द्वारा सुचना मिली की नयापुरा थाने के किशोर सागर तालाब के पास दो युवक बाईक से जा रहे है। जिनके पास कोई अवैध मादक पदार्थ है। जिसे वह सप्लाई करने वाले है सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुखबीर द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर बाईक सवार दो युवकों को रोककर डिटेन कर तलाशी ली तो एक युवक सफर अली (36) के पास 525 ग्राम चरस और दूसरे युवक अनिल शुक्ला (35) के पास 512 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद हुई पकड़ी गई चरस की कीमत 50 लाख से ज्यादा है।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम साधना सोभागचन्द जैन से बदलकर नया नाम साधना लोढ़ा रख लिया है। भविष्य में मुझे साधना लोढ़ा के नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-साधना लोढ़ा पत्नी विपिन कुमार लोढ़ा 611 पुखराज औरा बजरंग नगर मैन रोड कोटा

विज्ञप्ति

बाबत सम्पत्ति बेदखली

मैं छीतरलाल पुत्र श्री भैरुलाल निवासी बृजराज भवन के पास सकतपुरा कुन्हाड़ी कोटा-राजस्थान का हूं।

मैं अपने छोटे पुत्र गोविन्द महावर पता-काली टेक के बालाजी सकतपुरा कुन्हाड़ी कोटा को चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूं। कोई बैंक अथवा व्यक्ति मेरे पुत्र गोविन्द महावर से रुपये लेन-देन करता है तो स्वयं जिम्मेदार होगा।

मैंने चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है।

दिनांक: 8.5.2025

जरिये अधिवक्ता
महेन्द्र सिंह यादव
मो.नं. 8949484830

जेईई एडवांस स्टूडेन्ट्स ने अपनी तैयारी परखी

कोटा में जेईई एडवांस एग्जाम स्टूडेंट्स ने मॉक ड्रिल से अपनी तैयारी परखी है।

कोटा, (निसं)। मोशन एजुकेशन की और से गुरूवार को जेईई एडवांस एग्जाम की मॉक ड्रिल हुई इसमें स्टूडेन्ट्स ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। एग्जाम देकर निकले विद्यार्थियों पर फेक्लटीज और ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की गई।

एक्जाम सेंटर तलवंडी स्थित परिकलक पर पहुंचे मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने स्टूडेन्ट्स का उत्साह बढ़ाया उन्होंने बताया की आईआईटी कानपुर की और से जेईई एडवांस 2025 परीक्षा 18 मई होगी। इसकी तैयारी के लिए गुरूवार को दो पारीयों में तीन-तीन घंटे की परीक्षा हुई पेपर-1 की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जबकि पेपर-2 की परीक्षा दोपहर 2.30 बजे से शाम 05.30 तक हुई। यह वही समय है जिससे जेईई एडवांस परीक्षा होगी। इस एग्जाम का पेपर जेईई एडवांस 2025 के पैटर्न और कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए मोशन की टॉप फैक्लटीज ने तैयार किया है। इससे स्टूडेन्टस की सवाल हल करने की स्पीड एक्यूरेसी और टाईम मैनेजमेंट में सुधार होगा। साथ ही वे परीक्षा जैसे माहौल में खुद को आंक सकेंगे। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

नितिन विजय ने बताया कि जेईई एडवांस्ड में दो पेपर होते है। प्रत्येक 3 घंटे का होता है। इसमें फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैथ्स के एमसीक्यू न्यूमेरिकल और मैच द फॉलोविंग टाईप के सवाल आते है। अपने स्कोर को अधिकतम करने के लिए टाईम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है। तीनों खंडो में विवेकपूर्ण तरीके से समय आवंटित करें और दिये गये समय सीमा के भीतर यथासंभव अधिक से अधिक सवाल हल करने का लक्ष्य रखे। मोशन के ज्वाइंट डायरेक्टर और जेईई डिवीजन हेड रामरतन द्विवेदी ने बताया कि मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर के माध्यम से टाईम मैनेजमेंट का अभ्यास करें। अतिंम समय की तैयारी के लिए पिछले वर्षो के पेपर हल करें और मॉक ड्रिल दें अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर पता करें कि कोई सवाल गलत क्यों हुआ। ठसके बाद अपनी कमजोरियों पर काम करें। ताकि असली परीक्षा में गलती की गुंजाईश न रहे। इसके अलावा तनाव से दूर रहे और सेहत का ख्याल रखें।

न्यायालय जिला न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)

बइजलास श्री सत्यनारायण व्यास, आर.एच.जे.एस. **प्रकरण क्रमांक : 41/2025**

(1) विनय कुमार शर्मा आयु 53 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेश चन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी "सूर्यान्श" 70, न्यू गोपाल विहार, बजरंग नगर, कोटा (राजस्थान) 324001 (2) महेश चन्द्र शर्मा आयु 86 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री देवीलाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण मकान नं. 10-क-14, परिजात कॉलोनी, महावीर नगर, तृतीय, केशवपुरा पी.आई.पी., कोटा (राजस्थान) 324005 (3) श्रीमती शकुन्तला शर्मा आयु 84 वर्ष पत्नी स्वर्गीय बुद्धिप्रकाश जी, पुत्री स्वर्गीय श्री देवीलाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासिनी 78, न्यू गोपाल विहार, पुलिस लाईन, कोटा (राजस्थान) 324001 (4) दिनेश चन्द्र शर्मा आयु 82 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री देवीलाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण मकान नं. 1-ए-28, महावीर नगर विस्तार, कोटा (राजस्थान) 324009 (5) बृजेश चन्द्र शर्मा आयु 76 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री देवीलाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण मकान नं. 16, गणपति आवास, बून्दी रोड़, कुन्हाड़ी, कोटा (राजस्थान) 324008 (6) योगेश चन्द्र शर्मा आयु 74 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री देवीलाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण मकान नं. 13-ए, अल्फा कॉम्पलेक्स, बजरंग नगर, कोटा (राजस्थान) 324001 (7) सुमनलता शर्मा आयु 71 वर्ष पत्नी श्री कैलाश चन्द्र जी दुबे, पुत्री स्वर्गीय श्री देवीलाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण मकान नं. सी-3, जयश्री विहार, कैथून रोड़, थेगड़ा, कोटा (राजस्थान) 324003 ...... (प्रार्थीगण)

- बनाम -

(1) बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मेन बून्दी रोड़, कुन्हाड़ी, कोटा (2) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा प्लॉट नं. 10, रिद्धि सिद्धि नगर, कुन्हाड़ी, कोटा (3) दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा प्रथम भवन, रामचन्द्रपुरा, धानमण्डी, कोटा (4) सर्वसाधारण ...... (प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम

जनरल नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मृतक श्रीमती कान्ति शर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री सतीश चन्द्र जी शर्मा निवासिनी बी-84, रिद्धि सिद्धि नगर, कुन्हाड़ी, कोटा की चल सम्पत्ति उक्त प्रतिपक्षी बैंकों में जमा राशि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमती कान्ति शर्मा का देहावसान दिनांक 27.12.2024 को ही कोटा में नि:संतान हो गया है। श्री सतीश चन्द्र जी शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर के पद से दिनांक 31.01.1992 को सेवानिवृत्त हुए थे तथा स्वर्गीय श्री सतीश चन्द्र जी शर्मा का देहावसान दिनांक 22.05.2006 को कोटा में नि:संतान हो गया था तथा श्री सतीश चन्द्र जी शर्मा एवं श्रीमती कान्ति शर्मा ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया है और न ही कोई वसीयत निष्पादित की है। मृतक श्रीमती कान्ति शर्मा ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है तथा मृतक स्व. श्रीमती कान्ति शर्मा अपनी मृत्यु के समय (A) बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मेन बून्दी रोड़, कुन्हाड़ी, कोटा, उक्त बैंक के खाता संख्या 46860100005086 में राशि 30,02,121/- रूपये, (B) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा रिद्धि सिद्धि नगर, प्लॉट नं. 10, कुन्हाड़ी, कोटा, उक्त बैंक के खाता संख्या 61007738322 में राशि 45,60,523/- रूपये, (C) दी राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा प्रथम भवन, रामचन्द्रपुरा, छावनी, कोटा, (1) उक्त बैंक के खाता संख्या 10013101110018734 में राशि 34,89,213/- रूपये, (2) उक्त बैंक की एफ.डी.आर. क्रमांक 0199382 खाता संख्या 10013251140011639 तादादी 1,15,01,981/- रूपये परिपक्वता तिथि 02.07.2025, उपरोक्तानुसार स्वर्गीय श्रीमती कान्ति शर्मा की उक्त बैंक खातों एवं एफ.डी.आर. में कुल राशि 2,34,41,053/- रूपये मय देय ब्याज अदा करने के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पक्ष में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया है। अत: इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो, तो न्यायालय मे स्वंय अथवा जर्ये प्रतिनिधि आगामी पेशी 07.07.2025 को प्रस्तुत करे। यदि किसी प्रकार की कोई उज्र अथवा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, तो प्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा।

न्यायालय के आदेश से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा (राज.)

मुद्रांक

आम सूचना

माननीय संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा वाद संख्या 47/2024 अमित शर्मा बनमा मंजीत सिंह, ग्राम बोरखेड़ा तह. लाडपुरा कोटा में विकसित आवासीय कालोनी आर्दश विला के प्रमोटर रिजवान खान द्वारा तथ्य छुपाते हुए 90-क में दर्ज करवायी गयी कालोनी की आराजी खसरा संख्या 362/1 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा संख्या 363 रकबा 0.93 हैक्टर के संदर्भ में पूर्व में यूआईटी द्वारा दिनांक 06.01.2023 के 90-क के आदेश को खारिज फरमाते हुये आवासीय कालोनी का दर्जा खारिज फरमा दिया। क्योंकि उक्त कालोनी के खातेदार मनजीत सिंह एवं डवलपर रिजवान द्वारा कालोनी को पूर्व में यूआईटी में दर्ज करते समय तथ्यों को छुपाते हुए 90-क में दर्ज करवाया गया था जिसे संपूर्ण सुनवाई के बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2025 खारिज फरमा दिया। जिससे कि उक्त कालोनी में अब कोई भी पट्टा इत्यादि कार्यवाही शून्य व निरस्तनीय मानी जावेगी। उक्त कालोनी के संदर्भ में पूर्व में भी रेरा प्राधिकरण जयपुर द्वारा दिनांक 07.04.2025 को तथ्यों को छुपाकर कालोनी विकसित किये जाने का दोषी मानते हुए भारी जुर्माना आरोपित किया गया था।

कोटा, दिनांक: 8.5.25

भवदीय
घनश्याम नागर एडवोकेट

मौसम में बदलाव, घुली ठण्डक

छबड़ा (निसं)। मौसम में एक बार फिर से बदलाव आया है और तेज गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है। शहर के तापमान में गिरावट हुई है। इसका असर गुरुवार भी देखने को मिला। सुबह से ही मौसम में ठंडक घुली रही है और रात में भी ठंडक का अहसास हो रहा है। जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ परिसंचरण तंत्र के रूप में मध्यप्रदेश के पश्चिमी भागों व आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से हल्की मध्यम बारिश दर्ज हुई है। राज्य के दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी भागों में आगामी 3-4 दिन मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश व आंधी के दौर की संभावना है।

'दिव्यांगजनों सुविधाओं के लिए यूआईडीआई कार्ड आवश्यक होगा'

कोटा, (निसं)। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित समस्त योजनाओं जैसे पेंशन ऋण कृत्रिम या सहायक उपकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा जारी यूआईडीआई कार्ड आवश्यक होगा।

संयुक्त निदेशक सविता कृष्णिया ने बताया कि दिव्यांगजनों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। यूआईडीआईडी कार्ड के लिए दिव्यांगजनों को भारत सरकार द्वारा संचालित स्वावलम्बन पोर्टल पर ई-मित्र कियोस्क या स्वयं के द्वारा आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र में दिव्यांगता प्रमाणीकरण या परीक्षण करवाना आवश्यक होगा, जिसके लिए दिव्यांगजन आवेदन पत्र का प्रिंट निकलवा कर जिलें में आवेदन में चिन्हित महाराव भीमसिंह राजकीय अस्पताल में प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को प्रात: 9 से 1 तक आरआरसी के कमरा नं 121 में अपनी दिव्यांगता का प्रमाणीकरण करवाने के बाद दिव्यांगजनों को प्रमाणीकरण या परीक्षण को भारत सरकार द्वारा संचालित स्वावलम्बन पोर्टल पर ई-मित्र कियोस्क या स्वयं के द्वारा अपलोड करवाना होगा। इसके बाद ही यूआईडीआईडी कार्ड जारी हो जाएगा। जिसका प्रिंट निकलवाकर उसे जनआधार कार्ड में ई-मित्र कियोस्क के द्वारा जुडवाना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी जिला कार्यालय संयुक्त निदेशक सामाजिकक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कोटा अम्बेडकर भवन पुलिस चौकी के पास एमबीएस अस्पाल नयापुरा कोटा से प्राप्त की जा सकती है।

बैठक आज

बूंदी (निसं)। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजनान्तर्गत पूर्व में प्रेषित प्रस्तावों एवं नवीन डोरा कलस्टर एवं खेरूणा कलस्टर में विकास कार्य किए जाने हेतु प्रस्तावों की समीक्षा के संबंध में बैठक आज प्रात: 11 बजे कलेक्टर गोदारा की अध्यक्षता में होगी।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "अ" श्रेणी चौमहला जिला झालावाड़ (राज0)

E- Mail – kums.chomela@rajasthan.gov.in & kumschaumhela@gmail.com दूरभाष कार्यालय – 07435 – 284249

क्रमांक:–59–68 दिनांक :–06.05.2025

आवंटन सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति चौमहला के मण्डी प्रांगण मे रिक्त भूखण्डों/निर्मित दुकान/निर्मित ग्रामीण गोदाम (जेसी भी स्थिति मे है) को 99 वर्षीय लीज पर द्वितीय एंव पश्चातवर्ती चरणों में अचल संपति आवंटन नीति–2005 एंव समय–समय जारी संशोधनों के तहत निर्धारित नीति, नियम एंव प्रकिया के अनुसार आवंटन हेतु **राजस्थान राज्य की समस्त मण्डी समितियों के अनुज्ञापत्रधारी** व्यापारियों एंव नवईच्छुक व्यवसाय जिनकों पूर्व मे मण्डी प्रांगण में दुकाने/भूखण्ड आवंटित नही हुऐ हो एंव गत दो वित्तीय वर्ष से अधिक समय से मण्डी क्षैत्र मे स्वंय के नाम से राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि धारक करने एंव मण्डी क्षेत्र में स्थाई रूप से निवास करने वाले कृषकों, कृषि प्रसंस्करण ईकाइयों, द्विव्यांग अनुज्ञापत्रधारियों, एवं अनुज्ञापत्रधारी कृषक उत्पादक संगठन (FPO)/कम्पनी से निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है :–

क्र.सं.	रिक्त भूखण्डों/दुकान गौदाम का विवरण	साईज वर्ग फीट में	कुल रिक्तियां (दुकान/भूखण्ड)	आरक्षित: अनुज्ञापत्रधारियों हेतु				कृषक हेतु			मण्डी यार्ड के बाहर स्थित अनुज्ञापत्रधारी तेल मीलों व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण इकाई	अनुज्ञापत्रधारी कृषक उत्पादक संगठन (FPO)/कम्पनी
				सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति	द्विव्यांग	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जनजाति		
1	भूखण्ड दुकान गौदाम मय प्लेटफार्म	20.5X75 20X75	9 = 27 18	11	3	3	1	4	1	1	2	1
2	निर्मित दुकान	20.5X20.5	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–
3	निर्मित ग्रामीण गौदाम	73.5X28.5 (250 MT)	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
4	मण्डी में अनुज्ञापत्रधारी व्यापाररियों के आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्ड अन्य मण्डियों के अनुज्ञापत्रधारियों को आवंटन करने का प्रावधान होने के कारण उनसे भी नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते है।											

इच्छुक आवेदक 200 रू. नगद जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र आवश्यक पूर्ति कर वांछित दस्तावेज धरोहर राशि रू. 10000/– के साथ दिनांक 06.06.2025 को सांय 4:00 बजे तक कार्यालय में जमा करा सकते है। धरोहर राशि का डी.डी./चैक कृशि उपज मण्डी समिति चौमहला के नाम से देय होगा। नियत समय पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नही होगा। आवंटन हेतु आरक्षित दर आवंटन बैठक तिथि को प्रभावी डी.एल.सी. दर का आवंटन नीति अनुसार निर्धारित प्रतिशत होगी। भूखण्डों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। आवंटन सम्बन्धित अन्य जानकारी/शर्तें विभागीय वेबसाईट https://agriculture.rajasthan.gov.in/dam एवं किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में देखी एंव प्राप्त की जा सकती है।

राज.संवाद/सी/25/1953 प्रशासक सचिव

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/1471 दिनांक:-9.4.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा आवास संख्या 451 गणेश नगर आवासीय योजना में हस्तान्तरण पत्र क्रमांक 650-51 दिनांक 19.07.2007 को श्री भुवनेश राठोर पुत्र श्री रामस्वरुप राठोर के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री भुवनेश राठोर पुत्र श्री रामस्वरुप राठोर द्वारा उक्त आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री ओम प्रकाश विजय पुत्र श्री कन्हैया लाल विजय द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.12.2022 को श्रीमती नुपुर गुप्ता पत्नी श्री पुनीत विजयवर्गीय को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती नुपुर गुप्ता पत्नी श्री पुनीत विजयवर्गीय द्वारा उक्त आवास का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 451 गणेश नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती नुपुर गुप्ता पत्नी श्री पुनीत विजयवर्गीय के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया

छबड़ा (निसं)। खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा गिव अप अभियान की प्रगति के तहत क्षेत्र के कडैयावन, गुगोर, उमरथना, मुंडला की उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। प्रवर्तन अधिकारी संदीप झांकल ने बताया कि बारां जिले में दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि वाले परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है। इनके अलावा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हैं या निजी उपयोग हेतु चौपहिया सवारी वाहन रखते हैं अथवा आयकर दाता हैं या नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट से अधिक पक्का मकान व ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफुट से अधिक पक्का मकान है तो भी खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है। खाद्य विभाग द्वारा उन परिवारों से कोई वसूली नहीं होगी, जो स्वैच्छा से ऑनलाइन या ऑफलाइन गिव अप आवेदन भरेंगे। जिसकी अंतिम तिथि 31 मई 2025 है।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला-चित्तौड़गढ़

क्रमांक : नपारा/भूमि/2025-26/453 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 08.05.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / भूखण्डधारी श्री दिनेश कुमार बुनकर पिता श्री लक्ष्मीचन्द बुनकर व श्रीमती ऋतु आनन्द, सुश्री स्नेहा आनन्द, श्री यश आनन्द पिता / पत्नी श्री जगदीश कुमार आनन्द निवासी- रावतभाटा के द्वारा नया बाजार आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 243 साईज 40X50 फीट क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट का नामान्तरण नगर पालिका कार्यालय में ऑनलाईन पत्रांक 91387 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा दर्ज किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड नामान्तरितियों द्वारा पंजीकृत विभाजन डीड दिनांक 23.01.2025 एवं उक्त भूखण्ड के उपविभाजन प्लान अनुसार दो भागों में निम्नानुसार विभाजित कर उपविभाजन का अनुमोदन चाहा गया है।

विभाजित भाग	उपविभाजित भूखण्ड सं.	स्वामित्व	साईज व क्षेत्रफल	चतुर्थ पड़ौस की स्थिति
प्रथम	243-ए	श्री दिनेश कुमार बुनकर पिता स्व. श्री लक्ष्मीचन्द निवासी- रावतभाटा	20X50 = 1000 वर्गफीट	**पूर्व में :** प्लॉट नं. 242, **पश्चिम में :** उपविभाजित भूखण्ड संख्या 243-बी (जो श्रीमती ऋतु आनन्द पत्नी स्व. श्री जगदीश कुमार आनन्द व सुश्री स्नेहा आनन्द, श्री यश आनन्द पिता स्व. श्री जगदीश कुमार आनन्द के हक में होगा), **उत्तर में :** रोड 10 फीट चौड़ा, **दक्षिण में :** 20 फीट 6 इंच चौड़ा रोड
द्वितीय	243-बी	श्रीमती ऋतु आनन्द पत्नी स्व. श्री जगदीश कुमार आनन्द व सुश्री स्नेहा आनन्द, श्री यश आनन्द पिता स्व. श्री जगदीश कुमार आनन्द निवासी - रावतभाटा	20X50 = 1000 वर्गफीट	**पूर्व में :** उपविभाजित भूखण्ड संख्या 243-ए (जो श्री दिनेश कुमार बुनकर पिता स्व. श्री लक्ष्मीचन्द के हक में होगा), **पश्चिम में :** प्लॉट नं. 244-ए, **उत्तर में :** रोड 10 फीट चौड़ा, **दक्षिण में :** 20 फीट 6 इंच चौड़ा रोड

अत: उक्त भूखण्ड का उपविभाजन प्रस्तुत उपविभाजन प्लान एवं उपरोक्त विवरण अनुसार अनुमोदित किये जाने में किसी भी व्यक्ति / विभाग / संस्था / बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रावतभाटा

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

सिविल इंजीनियरिंग(ब्रिज लाईन)

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मुख्य अभि. (ब्रिज लाईन) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदा ब्रिज लाईन कोटा के लिए आमंत्रित है:- टेण्डर संख्या- डीवाई सीई-ब्रिज लाईन-कोटा-ओटी-05-2025, कार्य का विवरण- कोटा- मथुरा सेक्शन: रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेट गर्डर बाय पीएससी स्लैब एट ब्रिज नं. 332 डाउन (4X12.20मी.) नागदा- मथूरा सेक्शन – रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेट गर्डर बाय पीएससी स्लैब एट ब्रिज नं. 44 अप(3X12.20मी), 118 डाउन (3X9.14मी), 271 अप (2X9.14मी.) 290 अप (2X6.02 + 1X 12.07 मी.) 332 अप (4X12.20मी.), 362 अप (3X12.19 मी.), 381 अप (1X12.19मी.), 529 अप (5X12.20मी.) 529 डाउन (5X12.20मी.) 534 अप (5X12.19मी.), 535 अप (5X12.19 मी.) 541 अप (2X12.20मी.) एंड 611 डाउन (2X11.51 मी.) अंडर दी ज्यूडिक्शन ऑफ एक्स/ब्रिज/कोटा। **कार्य की लागत-** 174609292.95, **टेण्डर बंद होने की तारीख-** 30.05.2025 (15:00 बजे), पूर्ण विवरण वेबसाईट www.ireps.gov.in पर अपलोड की गई ई-निविदा में तथा उप मुख्य इंजीनियर (ब्रिज लाईन) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर कार्यालय शाखा के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। ऑफर सिर्फ ई-निविदा के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें। ई-निविदा के अतिरिक्त ऑफ लाईन/मैनुअल ऑफर के माध्यम से टेंडर स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

(हस्ता.)

सहा. कार्यकारी अभि.(ब्रिज लाईन) पमरे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

कोटा पेंशन कार्यालय में नवाचारों से बढ़ी रफ्तार

- क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय में बीते कुछ माह से पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है

कोटा, (निसं)। क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय में बीते कुछ माह से पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। कार्यालय का प्रदर्शन इतना प्रभावशाली रहा कि यह संपूर्ण राजस्थान में पेंशन निस्तारण के मामले में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान पर रहा है।

पेंशनर्स की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सेवापुस्तिकाओं की त्वरित प्रक्रिया और तकनीकी नवाचारों ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेंशन कार्यालय द्वारा लगभग 4000 सेवा पुस्तिकाएं संबंधित विभागों में भेजी गई, जिससे कई लंबित पेंशन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किया जा सका। इसके अतिरिक्त 30 जून को सेवनिवृत्त होने वाले 500 से अधिक काल्पनिक वेतन वृद्धि मामलों में 400 से अधिक पेंशन प्रकरणों का समय रहते निपटारा किया गया जिससे कोटा संभाग के सैंकड़ो पेंशनर्स का त्वरित लाभ मिला।

कार्यालय की इस सफलता के पीछे नवाचारों को अहम माना जा रहा है। अतिरिक्त निदेशक दिनेश शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स को अधिकतम राहत देने के उद्देश्य से लगातार तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर नवाचार किए जा रहे है।

उन्होंने बताया कि कार्यालय के कर्मचारियों को आई-गोट कर्मयोगी जैसे ऑनलाईन प्रशिक्षण मंचो से जोडा गया है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। और निस्तारण प्रक्रियाएं अधिक सटीक बनी है। इसके अलावा पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए वॉट्सअप ईमेल और संपर्क पोर्टल का सक्रिय उपयोग किया जा रहा है। कोटा संभाग के सभी विभागों को ऑनलाईन पेंशन पोर्टल का निरंतर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिससे विभागीय समन्वय बेहतर हुआ है। कार्यालय परिसर में रंग-रोगन स्वच्छता पर्यावरण सजगता और पेंशनर्स के लिए बैठने जैसी बुनियादी व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

CAD सर्किल के पास कोटा

एफ 11/नीलामी/2025/5031 **ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का अवसर** दिनांक 6.5.25

प्राधिकरण द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से पंडित मदन मोहन मालवीय योजना खेडा जगपुरा झालावाड़ रोड में रिसोर्ट हेतु भूखंड संख्या-आर-6 को नीलाम किया जा रहा है। उक्त भूखंड एन.एच. 12 पर स्थित है एवं प्राधिकरण की फार्म हाउस योजना, आर.टी.ओ. ऑफिस, रीको संस्थान एवं औद्योगिक क्षेत्र के समीप स्थित है। ई-ऑक्शन दिनांक 26.05.2025 प्रात: 11.00 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 28.05.2025 को दोपहर 2.00 बजे समाप्त हो जायेगा (अन्तिम 5 मिनट में स्वत: बोली विस्तार नहीं होने की स्थिति में) नियम/शर्ते एवं अन्य जानकारी urban.jasthan.gov.in/uitkota एवं udhonline.rajasthan.gov.in/ कार्यालय समय में प्राधिकरण में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। दूरभाष 0744-2500539/ (Helpline For Online Support-01412560211) पर सम्पर्क करें।

भूखंड संख्या आर-6 का क्षेत्रफल (13250.79 वर्गमीटर)
प्रारम्भिक नीलामी दर-10500/-प्र.व.मी.
आरक्षित दर-3500/-प्र.व.मी.
धरोहर राशि-2783000/-

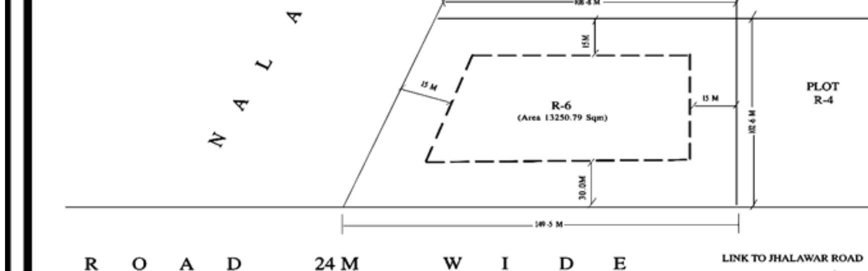

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण